

06.02.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही आये। वादी एव वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सत्यमेव जयते

*Devyo*

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

